[राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 1

निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियां

3. समता और अविभेद।
4. सामुदायिक जीवन।
5. क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा।
6. दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण।
7. संरक्षण और सुरक्षा।
8. गृह और कुटुंब।
9. प्रजनन अधिकार।
10. मतदान में पहुंच।
11. न्याय तक पहुंच।
12. विधिक हैसियत।
13. संरक्षकता के लिए उपबंध।
14. समर्थन के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान।

अध्याय 3

शिक्षा

15. शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य।
16. सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर करने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय।
17. प्रौढ़ शिक्षा।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

18. व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन।
19. नियोजन में विभेद न करना।

खंड

20. समान अवसर नीति।

21. अभिलेखों का अनुरक्षण।

22. शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।

अध्याय 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

23. सामाजिक सुरक्षा।

24. स्वास्थ्य देख-रेख।

25. बीमा स्कीमें।

26. पुनर्वास।

27. अनुसंधान और विकास।

28. संस्कृति और आमोद-प्रमोद।

29. खेलकूद गतिविधियां।

अध्याय 6

संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

30. संदर्भित निःशक्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा।

31. उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण।

32. आरक्षण के लिए पदों की पहचान।

33. आरक्षण।

34. प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन।

35. विशेष रोज़गार कार्यालय।

36. विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम।

अध्याय 7

अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

37. अधिक सहारे वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध।

अध्याय 8

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

38. जागरुकता अभियान।

39. पहुंच।

40. परिवहन तक पहुंच।

41. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

खंड

42. उपभोक्ता माल।

43. पहुंच के सन्नियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन।

44. विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्यवाही।

45. सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय-सीमा।

46. मानव संसाधन विकास।

47. सामाजिक लेखापरीक्षा।

अध्याय 9

निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

48. सक्षम प्राधिकारी।

49. रजिस्ट्रीकरण।

50. आवेदन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी।

51. रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण।

52. अपील।

53. अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को लागू न होना।

54. रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता।

अध्याय 10

विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं का प्रमाणन

55. विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

56. प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान।

57. प्रमाणन की प्रक्रिया।

58. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

अध्याय 11

निःशक्तता पर केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

59. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन।

60. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।

61. निरर्हता।

62. सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति।

63. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

64. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

खंड

65. निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड।

66. सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

67. निरर्हता।

68. स्थानों का रिक्त होना।

69. राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

70. राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

71. निःशक्तता पर जिला स्तर समिति।

72. रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

अध्याय 12

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

73. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन।

74. अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति।

75. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

76. अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।

77. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और कृत्यों का निर्वहन करना।

78. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

79. रिक्तियों आदि से राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

80. राष्ट्रीय आयोग के लिए प्रक्रिया।

81. राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद।

82. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण।

83. राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

84. राष्ट्रीय आयोग को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां होना।

85. राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें।

अध्याय 13

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग

86. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग का गठन।

87. अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति।

88. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

89. अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।

90. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।

खंड

91. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

92. रिक्तियों आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

93. राज्य आयोग की प्रक्रिया।

94. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद।

95. राज्य आयोग के विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण।

96. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें।

97. संक्रमणकालीन उपबंध।

अध्याय 14

विशेष न्यायालय

98. विशेष न्यायालय।

99. विशेष लोक अभियोजक।

अध्याय 15

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि

100. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि।

101. लेखा और लेखापरीक्षा।

अध्याय 16

अपराध और शास्तियां

102. अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड।

103. कंपनियों द्वारा अपराध।

104. संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दंड।

105. अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड।

106. जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड।

107. समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन।

108. अनुकल्पी दंड।

अध्याय 17

प्रकीर्ण

109. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना।

110. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

111. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

112. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

खंड

113. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

114. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

115. राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।

116. राज्य आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां।

117. निरसन और व्यावृत्ति।

अनुसूची।

[राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 1

[दि राइट आफ पर्सन्स विद डिसबिलिटिज बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए

विधेयक

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 13 दिसंबर, 2006 को निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय, निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित करता है :—

(क) अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है;

(ख) अविभेद;

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना;

(घ) मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में निःशक्त व्यक्तियों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण;

(ङ) अवसर की समानता;

(च) पहुंच;

(छ) पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता;

(ज) निःशक्त बालकों की क्षमता प्रस्तुत करने के लिए आदर और निःशक्त बालकों की पहचान परिरक्षित करने के लिए उनके अधिकार के लिए आदर;

और भारत उक्त अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है;

और भारत ने, 1 अक्तूबर, 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा जाता है;

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील प्राधिकारी" से, यथास्थिति, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित या धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "समुचित सरकार" से,—

(i) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन या छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

2006 का 41

(ii) कोई राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन, या छावनी बोर्ड से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में, राज्य सरकार;

अभिप्रेत है।

(ग) "रोध" से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है जिसमें संसूचनात्मक, सांस्कृतिक, पर्यावरणात्मक, संस्थात्मक, राजनैतिक, सामाजिक या अवसंरचनात्मक कारक सम्मिलित है जो समाज में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं;

(घ) "देख-रेख कर्ता" से माता-पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा

व्यक्ति अभिप्रेत है जो संदाय सहित या उसके बिना, किसी निःशक्त व्यक्ति को देख-रेख, सहारा या सहायता देता है;

(ङ) "प्रमाणकर्ता प्राधिकारी" से धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "संसूचना" में संसूचना के उपाय और रूप विधान, भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, उत्कीर्ण लेख, स्पर्शनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पंहुच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, सरल भाषा, ह्यूमन-रीडर, संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति और पहुंच योग्य जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 48 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "स्थापन" से केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायताप्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और जिसमें किसी सरकार का विभाग भी सम्मिलित है;

2013 का 18

(झ) "निधि" से धारा 100 के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि अभिप्रेत है;

(ञ) "उच्च सहायता" से शारीरिक, मानसिक और अन्यथा ऐसी गहन सहायता अभिप्रेत है जो संदर्भित निःशक्त व्यक्ति द्वारा शिक्षा, नियोजन, कुटुम्ब और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगोपचार को सम्मिलित करते हुए, दैनिक क्रियाकलाप, पहुंच सुविधाएं तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए अपेक्षित हो सकेगी;

(ट) "सम्मिलित शिक्षा" से ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेत है जिसमें निःशक्त और निःशक्तता रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं और ऐसे शिक्षण और विद्या की पद्धति जो विभिन्न प्रकार के निःशक्त छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से उपयुक्त की गई है;

(ठ) "संस्था" से निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रवेश, देख-रेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्व्यवस्थापन और किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ड) "स्थानीय प्राधिकरण" से संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) और खंड (च) में यथापरिभाषित नगरपालिका या पंचायत, छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित छावनी बोर्ड और संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन नागरिक क्रियाकलापों का प्रशासन करने के लिए कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

2006 का 41

(ढ) "राष्ट्रीय आयोग" से धारा 73 के अधीन गठित निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अभिप्रेत है;

(ण) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(त) "संदर्भित निःशक्त व्यक्ति" से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिट निःशक्तता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट निःशक्तता अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा निःशक्त व्यक्ति भी सम्मिलित है जहां विनिर्दिष्ट निःशक्तता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित की गई है;

(थ) "निःशक्त व्यक्ति" से ऐसी दीर्घकालिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है;

(द) "उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला निःशक्त व्यक्ति" से धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित निःशक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है;

(ध) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(न) "युक्तियुक्त आवासन" से निःशक्त व्यक्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों के उपभोग या उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशिष्ट दशा में, अननुपात या असम्यक् बोझ अधिरोपित किए बिना, आवश्यक और समुचित उपांतरण तथा समायोजन अभिप्रेत हैं;

(प) "रजिस्ट्रीकृत संगठन" से संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत निःशक्त व्यक्तियों का कोई संगम या निःशक्त व्यक्ति संगठन, निःशक्त व्यक्तियों के माता-पिता का संगम, निःशक्त व्यक्तियों और कुटुंब के सदस्यों का संगम या स्वैच्छिक या गैर सरकारी या पूर्त संगठन या न्यास, सोसाइटी या निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली अलाभकारी कंपनी अभिप्रेत है;

(फ) "पुनर्वास" से निःशक्त व्यक्तियों को, अनुकूलतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनश्चिकित्सीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट है;

(ब) "विशेष रोजगार कार्यालय" से—

(i) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो निःशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं;

(ii) ऐसे संदर्भित निःशक्त व्यक्ति के संबंध में जो नियोजन चाहते हैं;

(iii) ऐसी रिक्तियों के संबंध में जिन पर संदर्भित निःशक्त व्यक्ति, नियोजन चाहते हैं, नियुक्त किए जा सकेंगे;

रजिस्टर रखते हुए या अन्यथा सूचना एकत्रित करने या उसको प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है;

(भ) "विनिर्दिष्ट निःशक्तता" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निःशक्तताएं अभिप्रेत हैं;

(म) "राज्य आयोग" से इस अधिनियम की धारा 86 के अधीन गठित निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(य) "सर्वव्यापी डिजाइन" से सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत हैं और जो निःशक्त व्यक्तियों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू होंगी।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियां

समता और अविभेद।

3. (1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्तताओं वाले व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे ।

(2) समुचित सरकार, निःशक्त स्त्रियों और बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विशेष उपाय करेगी और समुचित वातावरण प्रदान करके निःशक्त व्यक्ति की क्षमता का उपयोग करने के लिए भी उपाय करेगी।

(3) किसी निःशक्त व्यक्ति के साथ निःशक्तता के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोप, विधिसंगत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समुचित है।

(4) कोई व्यक्ति केवल निःशक्तता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

सामुदायिक जीवन।

4. (1) निःशक्त व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा।

(2) समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि निःशक्त व्यक्ति को,—

(क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाए; और

(ख) किसी ऐसे गृह, आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहारा सेवाओं में, जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक् ध्यान देते हुए, जीवन को सहारे के लिए व्यक्तिगत आवश्यक सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की गई है।

क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा।

5. (1) समुचित सरकार, निःशक्त व्यक्ति को प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय या निम्निकृत व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी।

(2) कोई निःशक्त व्यक्ति,—

(i) संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, उपायों और रूपविधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना; और

(ii) समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीति से गठित ऐसी सदाचार समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य उसमें से या तो निःशक्त व्यक्ति या धारा 2 के खंड (यक) से अधीन यथावर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे के बिना

किसी अनुसंधान के अधीन नहीं होगा।

दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण।

6. (1) समुचित सरकार, निःशक्त व्यक्तियों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह,—

(क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार प्रदान कराएगी;

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी;

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी; और

(घ) जागृति पैदा करेगी तथा लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संस्था, जो यह विश्वास करने का कारण रखती है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में सूचना दे सकेगी।

(3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे निःशक्त व्यक्ति के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे, और इसके अंतर्गत—

(क) यथास्थिति, पुलिस या निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास, या दोनों का, उपबंध करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो निःशक्त व्यक्ति के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने;

(ग) ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को भरणपोषण उपलब्ध कराने,

संबंधी कोई आदेश भी हैं।

(4) कोई पुलिस अधिकारी, निःशक्त व्यक्ति के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की सूचना देगा,—

(क) उपधारा (2) के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की;

(ग) निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की; और

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत करने के अधिकार की :

परंतु इस धारा की किसी बात का किसी भी रीति में अर्थ पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

(5) यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि कथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है तो वह इस प्रभाव की शिकायत को, यथास्थिति, उस विषय में अधिकारिता रखने वाले न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रसर करेगा। 1860 का 45

संरक्षण और सुरक्षा।

7. (1) निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय अपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप, जैसा कि आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित हैं, में निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निःशक्त व्यक्तियों को शामिल करने का सुनिश्चय करेंगे। 2005 का 53

(3) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में निःशक्त व्यक्तियों के ब्यौरों का अभिलेख रखेगा और ऐसे 2005 का 53

व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।

(4) जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात् पुनःनिर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण ऐसे कार्यकलापों को निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयोग के परामर्श से हाथ में लेंगे।

गृह और कुटुंब।

8. (1) किसी बालक को सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से निःशक्तता के आधार पर पृथक् नहीं किया जाएगा।

(2) जहां अभिभावक निःशक्त बालक की देखभाल करने में असमर्थ हैं तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर कौटुम्बिक परिवेश में, समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, यथास्थिति, समुचित सरकार या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा।

प्रजनन अधिकार।

9. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चय करेगी कि निःशक्त व्यक्ति की, प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में उचित सूचना तक पहुंच हो।

(2) किसी निःशक्त व्यक्ति को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना अनुर्वरता होती है।

मतदान में पहुंच।

10. भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच में हों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में होगी।

न्याय तक पहुंच।

11. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्तता के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियां रखने वाले निकाय तक निःशक्त व्यक्ति अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य होंगे।

(2) समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेषतया जो कुटुंब से बाहर रहते हैं और ऐसे निःशक्त जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहारे की अपेक्षा है, समुचित समर्थकारी उपायों को ऐसे स्थानों पर करने के लिए कदम उठाएगी।

1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि निःशक्त व्यक्ति किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या अन्य के साथ उन्हें प्रस्थापित सेवा तक पहुंच हों, युक्तियुक्त आवासन सहित उपबंध करेंगे।

(4) समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी—

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उनके लोक दस्तावेज सुगम रूप विधान में हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या अभिलेखों के किसी अन्य कार्यालय में, सुगम रूप विधान में, दस्तावेजों और साक्ष्य को फाइल करने, एकत्र करना और दस्तावेजों तथा साक्ष्य को संदर्भित करना; और

(ग) निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के साधनों में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराना।

विधिक हैसियत।

12. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से स्वयं की या विरासती संपत्ति, स्थावर या जंगम, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय जमा के अन्य प्ररूपों तक पहुंच रखेंगे।

(2) जब समर्थन प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी निःशक्त व्यक्ति के मध्य विशिष्टतया वित्तीय, सांपत्तिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसा समर्थन प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में निःशक्त व्यक्ति को समर्थन प्रदान करने से प्रविरत रहेगा :

परंतु हितों के विरोध की कोई अवधारणा इस आधार पर नहीं होगी कि समर्थन देने वाला व्यक्ति निःशक्त व्यक्ति का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से संबंधित है।

(3) कोई निःशक्त व्यक्ति किसी समर्थन व्यवस्था को परिवर्तित, उपांतरित या समाप्त कर सकेगा और किसी दूसरे का समर्थन प्राप्त कर सकेगा :

परंतु ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या समाप्त करना भविष्यलक्षी प्रकृति का होगा और उपर्युक्त समर्थन व्यवस्था के साथ निःशक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कोई अन्य पक्षकार के संव्यवहार को अकृत नहीं करेंगे।

(4) निःशक्त व्यक्ति को समर्थन प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, मर्यादा और निजता का सम्मान करेगा।

संरक्षकता के लिए उपबंध।

13. (1) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई जिला न्यायालय यह निकर्ष अभिलिखित करता है कि कोई मानसिक रुग्ण व्यक्ति स्वयं अपनी देख-रेख करने में या अपने स्वयं पर कोई विधिक रूप से आबद्धकर निर्णय लेने में अक्षम है तो वह ऐसे मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति की देख-रेख करने के लिए सीमित संरक्षक की नियुक्ति के लिए आदेश करेगा और ऐसे व्यक्ति के परामर्श से उसकी ओर से सभी विधिक आबद्धकर विनिश्चय करेगा :

परंतु जिला न्यायालय असाधारण स्थितियों के अधीन जहां सीमित संरक्षकता नहीं दी जा सकती है मानसिक रुग्ण व्यक्ति को पूर्ण संरक्षकता प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "पूर्ण संरक्षकता" से कोई संरक्षकता अभिप्रेत है जिसके द्वारा असमर्थता पाने के पश्चात् विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में निःशक्त व्यक्ति के लिए कोई संरक्षक प्रतिस्थापित होता है और उसके लिए सभी विधिक रूप से बाध्यकारी विनिश्चय लेता है तथा निःशक्त व्यक्ति के विनिश्चय संरक्षकता के अस्तित्व के दौरान विधि में बाध्यकारी नहीं होंगे और संरक्षक, उसके लिए विनिश्चयों को करते समय निःशक्त व्यक्ति से परामर्श करने या उसकी इच्छा या अधिमानता का निर्धारण करने के लिए किसी विधिक बाध्यता के अधीन नहीं है।

(ii) "सीमित संरक्षकता" से संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षक और निःशक्त व्यक्ति के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे पर प्रचालित है।

(2) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, मानसिक रुग्ण व्यक्ति के लिए किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक, सीमित संरक्षक के रूप में कृत्य करता हुआ समझा जाएगा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व जहां किसी संरक्षक को नियुक्त किया गया है वहां वह सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, संबद्ध जिला न्यायालय इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास के भीतर संबद्ध मानसिक रुग्ण व्यक्ति के सभी संबंधित अभिलेखों को नए सिरे से विचार में लेते हुए, पूर्ण संरक्षकता प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "जिला न्यायालय" से किसी क्षेत्र में जिसके लिए वहां कोई नगर सिविल न्यायालय उक्त न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई अन्य न्यायालय है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों में सभी या किसी के निपटान के लिए सक्षम न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

समर्थन के लिए प्राधिकारियो के पदाभिधान।

14. (1) समुचित सरकार समुदाय को गतिशील करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी और उनकी विधिक हैसियत के प्रयोग में निःशक्त व्यक्तियों के समर्थन हेतु सामाजिक जागरुकता सृजित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले निःशक्त व्यक्तियों द्वारा विधिक हैसियत के प्रयोग के लिए उपयुक्त समर्थनकारी व्यवस्थाएं स्थापना करने के लिए उपाय करेगा और जिन्हें अधिक सहारे की आवश्यकता है और कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो, कर सकेगा।

अध्याय 3

शिक्षा

शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य।

15. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित शिक्षण संस्थाएं निःशक्त बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी,—

(i) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से खेल और आमोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना;

(ii) भवन, परिसर बनाना और पहुंच वाली विभिन्न सुविधाएं;

(iii) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान करना;

(iv) पर्यावरण जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के साथ सुसंगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, में व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यक समर्थन प्रदान करना;

(v) यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति को जो अंधा या बधिर या दोनों हैं संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना;

(vi) यथाशीघ्र बालकों में विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं की विद्या का पता लगाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;

(vii) प्रत्येक निःशक्त छात्र के संबंध में उसकी भागीदारी, लाभ प्राप्ति स्तरों के निबंधनों में उसकी प्रगति और शिक्षा की पूर्णता को मानीटर करना;

(viii) निःशक्तताओ वाले बालकों और अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना।

सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर करने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय।

16. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 15 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात् :—

(क) निःशक्त बालकों की पहचान करने के लिए, उनकी विशेष आवश्यकताओं

को सुनिश्चित करने और जिन्हें वह पूरा कर सकेंगे उसके विस्तार तक स्कूल जाने वाले बालकों के लिए सर्वेक्षण संचालित करना;

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

(ग) शिक्षकों को प्रशिक्षित और नियोजित करना जिसके अंतर्गत निःशक्त अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित हैं और जो बौद्धिक रूप में निःशक्त बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं;

(घ) सम्मिलित शिक्षा के समर्थन के लिए वृत्तिकों और कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षित करना;

(ङ) शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

(च) वाक संप्रेषण या भाषा निःशक्तता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी स्वयं की वाणी में अनुपूरक उपयोग के लिए संप्रेषण ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों को सम्मिलित करते हुए समुचित संवर्धी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना;

(छ) संदर्भित निःशक्त छात्रों को पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और उचित सहायक युक्तियां अठारह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और उसके पश्चात् या तो निःशुल्क या वहन योग्य लागत पर उपलब्ध कराना;

(ज) संदर्भित निःशक्त छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(झ) निःशक्तताओं वाले छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा में उपयुक्त जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या सचिव की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट के लिए उपांतरित करना;

(ञ) विद्या सुधारने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(ट) कोई अन्य उपाय जो विहित किए जाएं।

प्रौढ़ शिक्षा।

17. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी को संवर्धित करने के लिए और उनमें अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन।

18. समुचित सरकार, जिसके अंतर्गत उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वतः नियोजन के लिए विशेषतया निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर ऋण और समर्थनकारी नियोजन सहित स्कीमों और कार्यक्रमों को विरचित करेगी।

नियोजन में विभेद न करना।

19. (1) कोई भी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा :

परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्रत्येक स्थापन निःशक्त कर्मचारियों को समुचित वातावरण उपलब्ध कराएगा।

(3) केवल निःशक्तता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) कोई स्थापन किसी कर्मचारी को जो अपनी सेवा के दौरान कोई निःशक्तता प्राप्त करता है उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा :

परंतु यदि कोई कर्मचारी निःशक्तता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है, उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि निशःक्तता अर्जित करने के पश्चात् कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना उपयुक्त नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या तो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा।

समान अवसर नीति।

20. (1) प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति के उपायों के ब्यौरे, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अधिसूचित करेगा।

(2) प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग में उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।

अभिलेखों का अनुरक्षण।

21. (1) प्रत्येक स्थापन उपलब्ध कराए गए नियोजन, सुविधाओं के मामलों के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

(2) प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले निःशक्त व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएं सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।

22. (1) प्रत्येक स्थापन धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।

(2) धारा 19 के उपबंधों के अननुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।

(3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, और प्रत्येक शिकायत की इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी।

(4) यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह निःशक्तता पर जिला स्तर समिति के पास जा सकेगा।

अध्याय 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

सामाजिक सुरक्षा।

23. (1) समुचित सरकार उसकी आर्थिक हैसियत की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थकारी बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर हेतु निःशक्त

व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमों को विरचित करेंगे और कार्यक्रम का विकास करेंगे :

परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों को सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा।

(2) समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय निःशक्तता, की विविधता लिंग, आयु और सामाजिक — आर्थिक प्रास्थिति पर सम्यक विचार करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्कीम निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी,—

(क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-रेख और परामर्श के निबंधनों में अच्छी जीवन शर्तों के साथ सामुदायिक केन्द्र;

(ख) व्यक्ति, जिसके अंतर्गत निःशक्त बालक भी हैं, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त या बिना आश्रय या जीवन निर्वाह के बिना हैं, के लिए सुविधाएं;

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा और संघर्ष के क्षेत्र में उसके दौरान सहायता;

(घ) निःशक्त महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता;

(ङ) सुरक्षित पेय जल और समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं विशेषतया नगरीय गंदी बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच;

(च) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के साथ निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता और साधित्र, ओषधियां और नैदानिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराना;

(छ) ऐसी आय की सीमा जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए निःशक्त व्यक्तियों को निःशक्तता पेंशन;

(ज) दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सका था;

(झ) उच्च समर्थकारी आवश्यकताओं के साथ निःशक्त व्यक्तियों के लिए देख-रेख प्रदाता का भत्ता;

(ञ) ऐसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या कोई अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं;

(ट) कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे।

स्वास्थ्य देख-रेख।

24. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी,—

(क) ऐसी कुटुंब आय जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया आस-पास में निःशुल्क स्वास्थ्य देख-रेख;

(ख) उनके द्वारा चलाए जा रहे या सहायता प्राप्त अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं तथा केन्द्रों के सभी भागों में बाधारहित पहुंच;

(ग) परिचर्या और उपचार में पूर्विकता।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख-रेख की अभिवृद्धि और निःशक्तता की घटनाओं को रोकने के लिए और उक्त प्रयोजनों के लिए उपाय करेंगे और स्कीम और कार्यक्रम बनाएंगे और निम्नलिखित करेंगे,—

(क) निःशक्तता की घटनाओं के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना;

(ख) निःशक्तता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना;

(ग) "जोखिम के" मामलों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जांच करना;

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ङ) प्रायोजित जागरुकता अभियान और साधारण आरोग्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना या कराना या प्रायोजित करना या कराना;

(च) माता और बालक की प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात् देख-रेख के लिए उपाय करना;

(छ) पूर्वस्कूल, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना;

(ज) निःशक्तता के कारणों और अंगीकृत किए जाने वाले निरोधात्मक उपायों को टेलीविजन, रेडियो और अन्य जन संचार साधनों के माध्यम से जनता के मध्य जागरुकता उत्पन्न करना;

(झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय के दौरान स्वास्थ्य देख-रेख;

(ञ) जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं; और

(ट) विशेषतया निःशक्त स्त्रियों के लिए लैंगिक और प्रजनक स्वास्थ्य देख-रेख।

बीमा स्कीमें।

25. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीमें बनाएगी।

पुनर्वास।

26. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशिष्टतया स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्रों में उनकी आर्थिक हैसियत और विकास के भीतर सेवाओं और पुनर्वास के कार्यक्रमों की जिम्मेवारी लेंगे या जिम्मेवारी दिलाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता अधिसूचना द्वारा प्रदान कर सकेंगे।

(3) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी पुनर्वास स्कीम पुनर्वास नीतियों की विरचना के समय निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे।

अनुसंधान और विकास।

27. समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर व्यष्टियों या संस्थाओं के माध्यम से जिनसे आवास और पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दे जो निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाएं, के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी या कराएगी।

संस्कृति और आमोद-प्रमोद।

28. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और अन्य व्यक्तियों के साथ समान आमोद-प्रमोद गतिविधियों में भागीदारी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, के उपाय करेंगे,—

(क) निःशक्त कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरुचि और प्रतिभा के अनुसार सुविधा, सहायता और प्रायोजन;

(ख) निःशक्तता एतिहासिक संग्रहालय की स्थापना जो निःशक्त व्यक्तियों के एतिहासिक अनुभवों को लिपिबद्ध और निर्वचन करते हैं;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों तक कला को सुगम बनाना;

(घ) आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना;

(ङ) बालचर, नृत्य, कला कक्षाएं, बाहरी कैंप और रोमांचक गतिविधियों में भागीदारी को सुकर बनाना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनःविन्यास करना;

(छ) आमोद-प्रमोद गतिविधियों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच और उनको सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए तकनीकी विकास, सहायक युक्तियां और साधनों का विकास करना।

खेलकूद गतिविधियां।

29. (1) समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों की खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।

(2) खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सम्यक् मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा के संवर्धन और विकास के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए सम्यक् उपबंध करेंगे।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेंगे,—

(क) सभी खेलकूद गतिविधियों में निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच, समावेशन और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पुनर्संरचना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पुनःविन्यास और समर्थन;

(ग) सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए संभावित, प्रतिभा, सामर्थ्य और योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास;

(घ) सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में बहुसंवेदी आवश्यकताएं और विशेषताएं प्रदान करना;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए कला, खेलकूद सुविधाओं हेतु राज्य के विकास के लिए निधियों का आबंटन करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्तता विनिर्दिष्ट खेलकूद घटनाओं को संवर्धित करना और आयोजित करना।

अध्याय 6

संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

2009 का 35

संदर्भित निःशक्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा।

30. (1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छह वर्ष से अठारह वर्ष तक का संदर्भित निःशक्त प्रत्येक बालक का निकटवर्ती विद्यालय या किसी विशेष विद्यालय में यदि आवश्यक हो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित निःशक्त प्रत्येक बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण।

31. (1) सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य शिक्षा संस्थान संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगे।

(2) उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।

आरक्षण के लिए पदों की पहचान।

32. समुचित सरकार,—

(i) संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थापनों में पदों की पहचान करेगी;

(ii) पांच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर प्रौद्योगिकी में विकास पर विचार करते हुए पहचान किए गए पदों की सूची का पुनर्विलोकन और अद्यतन करेगी।

आरक्षण।

33. (1) प्रत्येक समुचित सरकार, अपने अधीन प्रत्येक स्थापनों में भरी जाने वाली रिक्तियां संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों या वर्ग के लिए आरक्षित रखेगी जिसमें से एक प्रतिशत निम्नलिखित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी—

(क) अंध और निम्न दृष्टि;

(ख) श्रवणशक्ति में ह्रास और वाकशक्ति में ह्रास;

(ग) चलन निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ और पेशीय दुष्पोषण भी है;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ङ) खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए पहचान किए गए पदों में बधिर, अंधता भी है :

परंतु समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी विभाग या स्थापन में कार्य करने के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी, के अधीन रहते हुए इस धारा के उपबंधों से स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की गणना कुल काडर पद संख्या के पांच प्रतिशत पर प्रगणित होगी।

(2) जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रनीत होगी और यदि पश्चात्‌वर्ती भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो यह पांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा पहले

हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में पद के लिए निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है नियोक्ता किसी निःशक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को नियुक्ति द्वारा भर सकेगा:

परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि व्यक्तियों के दिए गए प्रवर्गों को नियोजित नहीं किया जा सकेगा तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला-बदली की जा सकेगी।

(3) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए पांच वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को शिथिल करने का उपबंध करेगी।

प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन।

34. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपने कार्यबल में कम से कम पांच प्रतिशत संदर्भित निःशक्त व्यक्ति हैं, प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

विशेष रोजगार कार्यालय।

35. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, प्रत्येक स्थापन में नियोजक संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए नियत ऐसी रिक्तियों के संबंध में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए जो उस स्थापन में हुई है या होने वाली है, ऐसा विशेष रोजगार कार्यालय को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी जानकारी या विवरणी भेजेगी और स्थापन उस पर ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा।

विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम।

36. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संदर्भित निःशक्त व्यक्ति के पक्ष में स्कीमें अधिसूचना द्वारा यह उपबंध करने के लिए बनाएंगे—

(क) संदर्भित निःशक्त स्त्रियों की समुचित पूर्विकता के साथ सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवासन के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ख) संदर्भित निःशक्त स्त्रियों की पूर्विकता के साथ सभी निर्धनता उपशमन और विभिन्न विकासशील स्कीमों में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ग) रियायती दर पर भूमि के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण जहां ऐसी भूमि का उपयोग, आवासन, आश्रय, उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केंद्रों के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

अध्याय 7

अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

अधिक सहारे वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध।

37. (1) संदर्भित निःशक्त कोई व्यक्ति जो स्वयं अधिक सहारे की आवश्यक्ता समझता है या उसके निमित्त कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहारा प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, इसे ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्धारित बोर्ड को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) निर्धारण बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन इसे निर्दिष्ट किए गए मामले का ऐसी रीति में निर्धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और अधिक सहारे की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस निमित्त समुचित सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहारा प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

अध्याय 8

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

जागरुकता अभियान।

38. (1) समुचित सरकार, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग से परामर्श करके इस अधिनियम के अधीन निःशक्त व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरुकता अभियानों और सुग्राह्यता का संचालन, प्रोत्साहन, सहारा या संवर्धन करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे कार्यक्रम और अभियान निम्नलिखित भी करेंगे—

(क) सहनशीलता, सहानुभूति के समावेशन के मूल्यों का संवर्धन और विविधता के लिए आदर;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के कौशल, गुणों और योग्यताओं की अग्रिम पहचान और कार्यबल, श्रम बाजार में उनका योगदान और वृत्तिक फीस;

(ग) पारिवारिक जीवन, नातेदारियों, बालकों के वहन और पालन-पोषण से संबंधित सभी विषयों पर निःशक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए विनिश्चयों के लिए आदर का पोषण;

(घ) निःशक्तता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और वृत्तिक प्रशिक्षण स्तर पर पूर्वाभिमुखीकरण करना और सुग्राही बनाना तथा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार ;

(ङ) निःशक्तता की दशाओं पर पूर्वाभिमुखीकरण और सुग्राह्यता और नियोजकों, प्रशासकों और सहकर्मियों के प्रति निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार प्रदान करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार सम्मिलित हैं।

पहुंच।

39. राष्ट्रीय आयोग, समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई सुविधाएं और सेवाओं सहित भौतिक पर्यावरण, परिवहन, जानकारी और संसूचना के लिए पहुंच के मानकों को अधिकथित करते हुए निःशक्त व्यक्तियों के लिए विनियमों को विरचित करेगी।

परिवहन तक पहुंच।

40. (1) समुचित सरकार, यह उपबंध करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी—

(क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना जो पार्किंग स्थलों, प्रसाधनों, टिकट पटलों और टिकट मशीनों से संबंधित पहुंच के मानकों को पूरा करते हों;

(ख) परिवहन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रदान करना जो परिवहन के पश्च फिटिंग पुराने ढंगों सहित डिजाइन मानकों के अनुरूप हों, जब कभी वे निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य और सुरक्षित हों, आर्थिक रूप में व्यवहार्य हों और डिजाइन में मुख्य संरचना के परिवर्तन में भार डाले बिना हों;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों की गतिशील आवश्यकताओं के समाधान के लिए पहुंच योग्य सड़कें।

(2) समुचित सरकार निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए निर्वाह योग्य लागत पर निःशक्त व्यक्तियों की वैयक्तिक गतिशीलता के संवर्धन के लिए स्कीमों, कार्यक्रमों को विकसित करेगी—

(क) प्रोत्साहन और रियायतें;

(ख) वाहनों की पश्च फिटिंग; और

(ग) वैयक्तिक गतिशील सहायता।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

41. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि—

(i) श्रवण, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में उपलब्ध सभी अंतर्वस्तु पहुंच योग्य फार्मेट में हैं;

(ii) श्रवण वर्णन, हस्ताक्षर भाषा, निर्वचन और निकट शीर्षक प्रदान करके निःशक्त व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक मीडिया तक पहुंच;

(iii) इलैक्ट्रानिक माल और उपस्कर जो प्रतिदिन उपयोग के लिए सर्वव्यापी डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने के साधन हैं।

उपभोक्ता माल।

42. समुचित सरकार सर्वव्यापी रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों के विकास, उत्पादन और वितरण और निःशक्त व्यक्तियों के साधारण उपयोग के लिए उपसाधनों के संवर्धन हेतु उपाय करेगी।

पहुंच के सन्नियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन।

43. (1) किसी स्थापन को किसी संरचना के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि भवन योजना, धारा 39 के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरचित विनियमों से संसक्त नहीं है।

(2) किसी स्थापन को तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक यह राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरचित विनियमों से संसक्त नहीं रहता है।

विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्यवाही।

44. (1) ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार सभी विद्यमान सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार राज्यों को इस उपबंध की संसक्तता के लिए मामला दर मामला आधार पर उनकी तैयारी की अवस्था और अन्य संबंधित पैमानों पर निर्भर रहते हुए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उनके सभी भवनों और स्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल/जिला अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों जैसी सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हुए, पहुंच प्रदान करने के लिए पूर्विकता पर आधारित कार्ययोजना विरचित और प्रकाशित करेंगे।

सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय-सीमा।

45. राष्ट्रीय आयोग धारा 39 के अधीन विरचित पहुंच पर ऐसे विनियमों के अनुसार सेवा प्रदाता ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पहुंच पर सेवाएं प्रदान करेंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करके उक्त विनियमों के अनुसार सेवाओं का कतिपय प्रवर्ग प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

मानव संसाधन विकास।

46. (1) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् के किसी कृत्य और शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित 1992 का 34

सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानव संसाधन का विकास करने के लिए प्रयास करेगी और अन्ततः निम्नलिखित करेगी—

(क) पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस पदधारियों, न्यायाधीशों, वकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रमों में निःशक्तता के अधिकारों पर आज्ञापक प्रशिक्षण;

(ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सों, अर्धचिकित्सा कार्मिक, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों, अन्य वृत्तिक और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए संघटक के रूप में निःशक्तता का प्रवेश;

(ग) स्वतंत्र जीवन में प्रशिक्षण और परिवारों के लिए सामुदायिक संबंधों, समुदाय के सदस्यों और अन्य पण्यधारकों और देख-रेख और सहारा पर देख-रेख प्रदाता सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करना;

(घ) पारस्परिक योगदान और आदर पर समुदाय संबंधों का निर्माण करने के लिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) क्रीड़ा, खेलकूद, रोमांचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ क्रीड़ा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना;

(च) कोई अन्य क्षमता विकास के उपाय, जो आवश्यक हों।

(2) सभी विश्वविद्यालय ऐसे अध्ययनों के लिए अध्ययन केंद्रो की स्थापना सहित निःशक्तता संबंधी अध्ययनों में शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करेंगे।

(3) उपधारा (1) में कथित बाध्यता को पूरा करने के लिए, समुचित सरकार प्रत्येक पांच वर्ष में आवश्यकता आधारित विश्लेषण का उपक्रम करेंगी और भर्ती, प्रवेश, सुग्राह्यता पूर्वभिमुखीकरण और इस अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उपयुक्त कार्मिको के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं विरचित करेगी।

सामाजिक लेखा परीक्षा।

47. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम और कार्यक्रम निःशक्त व्यक्तियों और संबद्ध निःशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता और अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, निःशक्त व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए सभी साधारण स्कीमों और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा की जिम्मेवारी लेगी।

अध्याय 9

निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

सक्षम प्राधिकारी।

48. राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जो वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे।

रजिस्ट्रीकरण।

49. इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति निःशक्त व्यक्तियों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं :

1987 का 14

परंतु मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की देख-रेख के लिए कोई संस्था जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 8 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारित करती है, उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी।

50. (1) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार पालन किया है, वह आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र मंजूर करेगा और यदि उसका समाधान नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा किए गए आवेदन प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इंकार कर देगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा और प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित में ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, संसूचित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक संस्था जिसके बारे में आवेदन किया गया है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने और ऐसे मानक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, को पूरा करने की स्थिति में न हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र—

(क) जब तक धारा 51 के अधीन प्रतिसंहृत नहीं होता ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रवृत्त बना रहेगा;

(ख) वैसी ही अवधि के लिए समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा; और

(ग) ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के कम से कम साठ दिन पूर्व किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति, संस्था द्वारा सहजदृश्य स्थान पर दर्शित की जाएगी।

(7) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण।

51. (1) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका विश्वास करने का यह कारण है कि धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के धारक ने—

(क) प्रमाणपत्र के जारी करने या नवीकरण के लिए किसी आवेदन के संबंध में ऐसा कथन किया है जो गलत है या तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है; और

(ख) नियमों या किन्हीं ऐसी शर्तों को भंग किया है या भंग करवाया है जिनके अधीन प्रमाणपत्र मंजूर किया गया था,

वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा प्रमाणपत्र को प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमाणपत्र के धारक को इस बात का कारण बताने का अवसर न प्रदान कर दिया हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत क्यों न कर दिया जाए।

(2) जहां किसी संस्था के संबंध में उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया गया है वहां ऐसी संस्था, ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख से कृत्य करना बन्द कर देगी :

परन्तु जहां प्रतिसंहरण आदेश के विरुद्ध धारा 52 के अधीन कोई अपील होती है, वहां ऐसी संस्था निम्नलिखित दशाओं में कृत्य करना बन्द कर देगी,—

(क) जहां ऐसी अपील फाइल करने के लिए विहित अवधि के अवसान के तुरन्त पश्चात् अपील नहीं की गई है; या

(ख) जहां ऐसी कोई अपील की गई है, किन्तु अपील के आदेश की तारीख से प्रतिसंहरण आदेश को मान्य ठहराया गया है।

(3) किसी संस्था की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण पर, सक्षम प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि कोई निःशक्त व्यक्ति जो ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख को, ऐसी संस्था में सहवासी है,—

(क) यथास्थिति, उसे उसके अभिभावक, पति या पत्नी या विधिक संरक्षक की अभिरक्षा में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक संस्था, जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारण करता है जिसका इस धारा के अधीन प्रतिसंहरण कर लिया गया है, ऐसे प्रतिसंहरण के तुरंत पश्चात् ऐसे प्रमाणपत्र को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगी।

अपील।

52. (1) प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार करने या प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे अपील प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को लागू न होना।

53. इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्थापित या अनुरक्षित किसी संस्था को लागू नहीं होगी।

रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता।

54. समुचित सरकार उसकी आर्थिक हैसियत और विकास की सीमाओं के भीतर रजिस्ट्रीकृत संस्थांओं को सेवा प्रदान करने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

अध्याय 10

विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं का प्रमाणन

विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

55. केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट निःशक्तता की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करेगी।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान।

56. (1) समुचित सरकार अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेगी, जो निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

(2) समुचित सरकार उस अधिकारिता को और उन निबंधनों और शर्तों को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने प्रमाणकारी कृत्यों का अनुपालन करेगा।

प्रमाणन की प्रक्रिया।

57. (1) कोई विनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता रखने वाले प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निःशक्तता का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, धारा 55 के अधीन अधिसूचित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की निःशक्तता का निर्धारण करेगा और, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण के पश्चात्—

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, निःशक्तता का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(ख) उसे लिखित में सूचित करेगा कि उसको कोई विनिर्दिष्ट निःशक्तता नहीं है।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

58. (1) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा पदाभिहित ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) किसी अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी अपील का ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विनिश्चय करेगा।

अध्याय 11

निःशक्तता पर केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन।

59. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी।

(2) केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) केंद्रीय सरकार के निःशक्तता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री — पदेन अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय सरकार के निःशक्तता कार्य मंत्रालय में निःशक्तता कार्य विभाग से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्रा—पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो का चयन लोक सभा द्वारा और एक का चयन राज्य सभा द्वारा किया जाएगा;

(घ) सभी राज्यों के निःशक्तता कार्य के प्रभारी मंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक/उपराज्यपाल—पदेन सदस्य;

(ङ) निःशक्तता कार्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, व्यय, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, विधि कार्य, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक सचिव, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(च) सचिव, योजना आयोग—पदेन सदस्य;

(छ) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद्—पदेन सदस्य;

(ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, स्वपरायणता, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता कल्याण न्यास—पदेन सदस्य;

(झ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम—पदेन सदस्य;

(ञ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम—पदेन सदस्य;

(ट) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—पदेन सदस्य;

(ठ) महानिदेशक, नियोजन और प्रशिक्षण, श्रम और रोजगार मंत्रालय—पदेन सदस्य;

(ड) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्—पदेन सदस्य;

(ढ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्—पदेन सदस्य;

(ण) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—पदेन सदस्य;

(त) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्—पदेन सदस्य;

(थ) निम्नलिखित संस्थानों के निदेशक—पदेन सदस्य होंगे,—

(i) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून;

(ii) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद;

(iii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली;

(iv) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रव्य विकलांग संस्थान, मुम्बई;

(v) राष्ट्रीय विकलांग असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थान, कोलकाता;

(vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक;

(vii) राष्ट्रीय बहु निःशक्त व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई;

(viii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान, बैंगलोर;

(ix) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली;

(द) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य,—

(i) पांच व्यक्ति जो निःशक्तता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;

(ii) निःशक्तता से संबंधित गैर सरकारी संगठनों या निःशक्त व्यक्ति संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो निःशक्त व्यक्ति हों :

परंतु नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;

(iii) वाणिज्य और उद्योग के राष्ट्रीय स्तर के चैम्बरों में से तीन प्रतिनिधि तक;

(ध) निःशक्तता नीति के विषय से संबंधित भारत सरकार का संयुक्त सचिव-पदेन सदस्य-सचिव।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।

60. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद धारण नहीं कर लेता है।

(2) केन्द्रीय सरकार यदि वह ठीक समझे तो धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

निरर्हता।

61. (1) कोई व्यक्ति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो,—

(क) दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(घ) वह सिद्धदोष है या उसे इस अधिनियम के अधीन किसी समय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को साधारण जनता के हितों के प्रतिकूल ठहराता है।

(2) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने का तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को उसके विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान किया जाता है।

(3) धारा 60 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पद से हटाया गया कोई सदस्य, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति।

62. यदि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य, धारा 61 में विनिर्दिष्ट निरर्हता के अधीन हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

63. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो विहित की जाए। निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

64. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड, निःशक्तता विषयों पर राष्ट्रीय स्तर का परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा और निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा। निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को निःशक्तता के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना;

(ग) सरकारी और अन्य गैर सरकारी संगठन, जो निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं, के कार्यकलापों का पुनरीक्षण और समन्वयन करना;

(घ) राष्ट्रीय योजनाओं में निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ निःशक्त व्यक्तियों के मामलों को लेना;

(ङ) सूचना, सेवाओं के मुकाबले निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच, युक्तियुक्त वास और भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए और उसके लिए वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाए।

65. (1) प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य सरकार के निःशक्तता मामलों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री—अध्यक्ष पदेन;

(ख) राज्य सरकार के निःशक्तता मामलों से संबंधित विभाग यदि कोई है, का प्रभारी राज्य मंत्री या उपमंत्री- उपाध्यक्ष पदेन;

(ग) निःशक्तता कार्य, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, वित्त, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे, के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव-पदेन सदस्य;

(घ) राज्य विधान-मंडल के तीन सदस्य जिनमें से दो का चयन विधान सभा द्वारा और एक सदस्य का चयन विधान परिषद्, यदि कोई हो, द्वारा किया जाएगा और जहां कोई विधान परिषद् नहीं है, वहां तीनों सदस्यों का चयन विधान सभा द्वारा किया जाएगा,—सदस्य पदेन;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य—

(i) पांच सदस्य जो निःशक्तता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;

(ii) जिलों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रतिनिधित्व करने के लिए चक्रानुक्रम में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच सदस्य:

परंतु इस उपखंड के अधीन कोई नामनिर्देशन सिवाय संबंधित जिला प्रशासन की सिफारिश के नहीं किया जाएगा;

(iii) गैर सरकारी संगठनों या संगमों जो निःशक्तता से संबद्ध है का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो निःशक्त व्यक्ति हों :

परंतु इस खंड के अधीन नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;

(iv) वाणिज्य और उद्योग के राज्य चैम्बरों में से तीन से अनधिक प्रतिनिधि;

(च) राज्य सरकार में निःशक्तता विषयों से संबंधित विभाग में ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो — पदेन सदस्य-सचिव।

सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

66. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद धारण नहीं कर लेता है।

(2) राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे तो धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (i) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

67. (1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो— निरर्हता।

(क) दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) उसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है, या

(घ) वह सिद्धदोष है या उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) उसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को साधारण जनता के हितों के लिए हानिकर है।

(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने का तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को, उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

(3) धारा 66 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई सदस्य, जो हटाया गया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

68. यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य धारा 67 में विनिर्दिष्ट निरर्हता के अधीन हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। स्थानों का रिक्त होना।

69. राज्य सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के ऐसे नियमों या प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

70. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सलाहकार बोर्ड निःशक्तता मामलों पर एक राज्यस्तरीय परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा तथा निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा। राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार को निःशक्तता की बाबत नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राज्य नीति का विकास करना;

(ग) राज्य सरकार के सभी विभाग और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों को बरत रहे हैं, के कार्यकलापों का पुनरीक्षण और समन्वयन करना;

(घ) राज्य योजनाओं में निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ निःशक्त व्यक्तियों के मामलों को उठाना;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच, युक्तियुक्त रूप से वास, भेदभावहीनता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना और वातावरण तैयार करना तथा अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए विधियों, नीतियों और डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

निःशक्तता जिला स्तर समिति।

71. राज्य सरकार, ऐसे कृत्य जो विहित किए जाएं, का पालन करने के लिए निःशक्तता पर जिला स्तर समितियों का गठन करेगी।

रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

72. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला स्तर निःशक्तता समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है या गठन में कोई त्रुटि है।

अध्याय 12

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन।

73. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नामक एक निकाय का गठन करेगी जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा कोई विधि, नीतियां, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के उपबंध जो इस अधिनियम से असंगत हैं, की पहचान करना और आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों की हानि के बारे में और वे विषय, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, की बाबत उनको उपलब्ध सुरक्षा तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए विषय हाथ में लेना;

(ग) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपबंधित सुरक्षोपायों की समीक्षा करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करना जो निःशक्त व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के उपयोग को सीमित करते हैं तथा समुचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना;

(छ) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की जागरुकता का संवर्धन करना और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपाय करना;

(ज) निःशक्त व्यक्तियों के लिए इस आशयित अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों आदि के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(झ) निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की मानीटरी करना; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य जो केन्द्रीय सरकार सौंपे।

(2) राष्ट्रीय आयोग निःशक्तता के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून सेवा का प्रतिष्ठित अभिलेख रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से अध्यक्ष और निःशक्तता विषयों से संबंधित पुनर्वास, अधिवक्ता, विधि, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बीस वर्ष से अन्यून सेवा का प्रतिष्ठित अभिलेख रखने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा :

परंतु दो सदस्यों में से एक सदस्य निःशक्त व्यक्ति होगा।

(3) राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में होगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति।

74. (1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क) मंत्रिमंडल सचिव—अध्यक्ष;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय या विभाग का समन्वयक के रूप में प्रभारी सचिव—सदस्य;

(ग) स्वास्थ्य और कार्मिक से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रभारी सचिव—सदस्य;

(घ) निःशक्त व्यक्तियों के मामले में सशक्तिकरण और पुनर्वास के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले दो विशेषज्ञ।

(2) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाने के कारण हुई किसी रिक्ति की तारीख से दो मास के भीतर और उस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवानिवृत्ति या पदावधि पूरा होने की तारीख से तीन मास पूर्व उस रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निदेश करेगी।

(3) चयन समिति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को उस तारीख से जिसको इसे संदर्भित किया जाता है, से दो मास के भीतर अंतिम रूप देगी।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) चयन समिति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिसकी उसके सदस्य के रूप में कृत्य करने पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

(6) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

75. (1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने पद धारण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे और वह तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून अवधि की सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 76 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।

76. (1) धारा 75 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, पद से हटा सकेगी, यदि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपनी स्थिति का ऐसे दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पद से नहीं हटाया जाएगा।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और कृत्यों का निर्वहन करना।

77. (1) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से किसी रिक्ति की दशा में ज्येष्ठतम सदस्य को तब तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अध्यक्ष पद धारण नहीं कर लेता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ रहने की दशा में, ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के कृत्यों का निवर्हन करने के लिए तब तक प्राधिकृत कर सकेगी जब तक कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिहित ज्येष्ठतम सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए या उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी सदस्य के वेतन और भत्तों का आहरण करना जारी रखेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

78. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

रिक्तियों आदि से राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

79. राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित के कारण अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) राष्ट्रीय आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राष्ट्रीय आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

राष्ट्रीय आयोग के लिए प्रक्रिया।

80. (1) राष्ट्रीय आयोग ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय आयोग को विनियमों द्वारा इसकी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने की शक्ति होगी।

(3) राष्ट्रीय आयोग के सभी आदेशों और विनिश्चयों को राष्ट्रीय आयोग के सचिव या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक्‌तः प्राधिकृत राष्ट्रीय आयोग के किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद।

81. (1) केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति का कोई अधिकारी नियुक्त करेगी जो राष्ट्रीय आयोग का सचिव होगा।

(2) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण।

1996 का 1

82. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की तारीख से तुरंत पूर्व निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 के अधीन गठित निःशक्त व्यक्ति के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसी तारीख से ही ऐसे पदनाम के साथ जैसा कि राष्ट्रीय आयोग अवधारित करे, राष्ट्रीय आयोग का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर अपना पद या सेवा करना जारी रखेगा जैसा कि मानो उसने उस तारीख को जारी रखा होता यदि राष्ट्रीय आयोग का गठन नहीं किया गया होता और वह तब तक ऐसा करना जारी रखेगा जब तक कि राष्ट्रीय आयोग में उसके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है और ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधनों और शर्तों को राष्ट्रीय आयोग द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधनों और शर्तों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

83. जब कभी राष्ट्रीय आयोग द्वारा धारा 73 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को यह सिफारिश की जाती है कि प्राधिकारी उस पर अपेक्षित कार्रवाई करेगा और आयोग को सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर की गई कार्रवाई को सूचित करेगा :

परंतु जहां प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है वहां वह अस्वीकार न करने के कारण तीन मास के भीतर राष्ट्रीय आयोग को सूचित करेगा और व्यथित व्यक्ति को भी सूचित करेगा।

राष्ट्रीय आयोग को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां होना।

1908 का 5

84. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सबंध में किसी वाद का विचारण करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में विहित होती हैं, अर्थात्‌ :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से उसके किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।